लिए 1981 में तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण करने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, परन्तु अभी तक वह क्रियान्वित नहीं हुई है।

अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि वह शीघ्र ही कोई प्रभावी कदम उठा कर इस संस्थान को रुड़की विश्वविद्यालय के हाथों से ले ले, जिससे कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, पाइलट प्लांट और केन्द्रीय पल्प एवं पेपर अनुसंस्थान संस्थान मिल कर केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय संस्थान का रूप ले सकें और इन पर लगा करोड़ों रुपया कागज उद्योग के विकास में सहायक बन सके।

(ii) NEED TO HELP LABOURERS, SPECIALLY THEY BELONGING TO BACKWARD CLASSES, WORKING IN STONE QUARRIES OF MIRZA PUR, U.P., NOW FACING UN-EMPLOY-MENT.

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में केन्द्र सरकार के माइन्ज और मिनरल्ज अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत बने नियमों के उत्तर प्रदेश में लागू हो जाने के कारण लाखों मजदूरों में विशेषकर मिर्जापुर जनपद में बेरोजगारों की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इसके पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू मिर्जापुर स्टोन महाल एक्ट, 1886 लागू था, जो वहां की परिस्थितियों के अनुकूल था। इसके अन्तर्गत छोटी पूंजी वाले लोग आसानी से पत्थर खदान (क्वैरी) का आबंटन करा लेते थे। इस समय जबकि मिर्जापुर जनपद एक तरफ सूखे से और दूसरी तरफ बाढ़ की भीषण विभीषिका से प्रभावित है, ऐसी स्थिति में कृषक मजदूर तथा समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित अन्य मजदूर जहां बड़े पैमाने पर बेकारी के शिकार हो रहे हैं, वहीं पर परम्परागत पत्थर खदान में लगे मजदूर भी उपर्युक्त कानून के कारण बेरोजगार हो गए हैं। सरकार द्वारा सन् 1980 में भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करके जो वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, उससे भी यह उद्योग प्रभावित हो रहा है, क्योंकि पत्थर वाली भूमियों का बहुत बड़ा क्षेत्र वन संरक्षण के क्षेत्र में आ गया है और वन विभाग खदान लगाने में रोकथाम कर रहा है।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार का ध्यान उपरोक्त केन्द्रीय अधिनियमों अर्थात् माइंज और मिनरल्ज अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के कार्यान्वियन की समीक्षा करने की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं, ताकि पत्थर उद्योग में परम्परागत लगे विशेषकर समाज के पिछड़े वर्ग के मजदूरों को बेरोजगारी की विकट समस्या से बचाया जा सके।

---

14. 08 hrs-

RE-ALLEGED PREVENTION BY POLICE OF CERTAIN MEMBERS OF PARLIAMLNT FROM COMING TO PARLIAMENT HOUSE

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpnr) : Should Members of Parliament be prevented from coming to Parliament House just because some VIP motorcade is going round. Shri Biju Patnaik and I were stopped three times at all the gates of Parliament House. We were not allowed to come anywhere near Parliament House by the police.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : It is very scrious.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरासर गलत कह रहे हैं। मैं भी वहां पर मौजूद था। वह बड़े आराम से आ रहे थे। उनको किसी ने नहीं रोका है। (**व्यवधान**)

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will look into it.

SHRI GEORGE FERNANDES : Shri. Siddhu, the Leader of the Janata Party, in Rajya Sabha was similarly prevented. We had to make our way to enter Parliament House.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should not be prevented.

SHRI GEORGE FERNANDES : You must seek the explanation from ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : We will look into it.

MATTERS UNDER RULE 377— (CONTD).

(iii) NEED TO HELP THE FAMILIES OF THOSE WHOSE LAND IS BEING USED BY ONGC FOR OIL EXPLANATION.

SHRI AHMED MOHAMMED PATEL (Broach) : The programme of oil production and exploration in the country is of very high importance. People also having realised this voluntarily given their lands for oil exploration to ONGC with out resorting to the courts. The area around Ankleshwer in Bharoach District of Gujarat has right from the begining proved a great potential for oil exploration. ONGC acquires plenty of lands in different places for this programme. As per the guide lines of ONGC, at least one persons from the family of the land owner is to be provided job in the ONGC. But this guidline is hardly put into practice. There are so many families who have lost their lands but have not been provided with employment to any of their members. Many times, families who lose their land are less educated and backward and some of the people from such families have become over-aged also. It is quite just that families who lose their lands should get alternative source of income as well as these families whose recruitable members are less qualified or over-aged some relaxation should be given.

Recently, some people have been called for interview and further recruitment is also under contemplation.

I would, therefore, urge Government that it may please direct the ONGC to recruit the persons from land losers on priority basis and also to effect relaxation in qualification and age wherever there are candidates who hail from land loser family.

(iv) NEED FOR STORN ACTION AGAINST PERSONS ENGAGED IN ILLEGAL FELLING OF TREES.

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, वृक्षारोपण तथा हरे व फलदार वृक्षों की रक्षा हमारी लोकप्रिय प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का अंग है। आजकल देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में सरकारी कर्मचारियों की अनेक मिली भगत से हरे व फलदार वृक्षों की अनधिकृत रूप से कटाई का अभियान बड़ी तेजी सेचल रहा है। पुलिसके अधिकारियों और कर्मचारियों की अगुवाई में वन विभाग कर्मचारी, लेखपाल और ठेकेदार मिलकर भारी संख्या में पेड़ों को कटवा कर विरोधी कार्य कर रहे हैं। यदि किसी ग्राम समाज का प्रधान अथवा अन्य कोई व्यक्ति गैर-कानूनी तरीके से पेड़ कटाई की रिपोर्ट करने थाने जाते है तो पहले तो उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती और लिखी भी जाती है तो केवल खानापूरी करने के लिए, उसपर तत्काल कोई कार्यवाही नहीं होती और सब मामला यों ही रफा-दफा कर दिया जाता है।

यह एक सर्वविदित सच्चाई है कि वृक्षों पर ही वर्षा निर्भर करती है और बढ़ते हुए रेगिस्तान को रोकने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना तथा हरे वृक्षों की रक्षा करना आवश्यक है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह किसी उच्च स्तरीय खुफिया एजेंसी से इसकी जांच कराए और इस राष्ट्र विरोधी कार्य में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करे ताकि भविष्य